

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी सी.आर. मीना, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 26/2019 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002.

ए यु स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. ग्यारसी लाल करडवसर पुत्र मुरलीधर करडवसर (ऋणी एवं रहनकर्ता)
निवासी 251, रुझा वाली, गढ़ भोपाजी, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर-332719 राज.
यहां भी
ग्यारसी लाल करडवसर पुत्र मुरलीधर करडवसर
शॉप स्थित है ग्राम कनवत, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर-332708 राज.
2. आंची देवी पत्नी ग्यारसी लाल (सहऋणी)
निवासी वार्ड नम्बर 5, रुझा वाली, गढ़ भोपाजी, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर-332719
3. विरेन्द्र कुमार पुत्र ग्यारसी लाल (सहऋणी)
निवासी वार्ड नम्बर 5, रुझा वाली, गढ़ भोपाजी, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर-332719
4. कमलेश कुमार धानका पुत्र रामकिशोर धानका (जमानतकर्ता)
निवासी वार्ड नम्बर 7, कनवत, जिला सीकर- 332708 राज.।

**The application under section 14 of the securitisation and
reconstruction of financial assets and enforcement of security
interest Act. 2002.**

निर्णय

निर्णय दिनांक: 04-07-2019

प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री सुभाष कुल्हरी द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण ग्यारसी लाल करडवसर, आंची देवी, विरेन्द्र कुमार, कमलेश कुमार धानका को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में शॉप स्थित है ग्राम कनवत, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर-332708 राज., जिसकी नाप 11.89 वर्गमीटर मालिकाना हक ग्यारसी लाल करडवसर का है एवं जिसकी चारों सीमाएं निम्न हैं:- पूर्व में रोड़, पश्चिम में सैलर्स दुकान, उत्तर में सैलर्स दुकान, दक्षिण में रोड़ स्थित है, को बंधक

रखकर 15,00,000/-रूपये (अक्षरे रूपये पन्द्रह लाख) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 27.12.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

1. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।
2. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।
3. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक 27.12.2018 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
4. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ग्यारसी लाल करडवसर, आंची देवी, विरेन्द्र कुमार, कमलेश कुमार धानका की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक शॉप स्थित है ग्राम कनवत, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर-332708 राज., जिसकी नाप 11.89 वर्गमीटर मालिकाना हक ग्यारसी लाल करडवसर का है एवं जिसकी चारों सीमाएं निम्न हैं :- पूर्व में रोड़, पश्चिम में सैलर्स दुकान, उत्तर में सैलर्स दुकान, दक्षिण में रोड़ स्थित है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
5. आदेश आज दिनांक: 04-07-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सी.आर. मीना)

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर